

2967-09



22AA 935201
अस्थावली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित द्वारा
म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ परिसर, 74 बंगला, इंद्रा निकुंज
क्षेत्र, भोपाल (म.प्र.) 462003

प्लॉट का विक्रय पत्र

अदायगी कीमत
सम्पूर्ण धनराशि

प्लॉट की वास्तविक कीमत एवं विकास व्यय राशि रुपये 7,90,367/- मात्र
(रुपये सात लाख नब्बे हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) गणना पत्रक के अनुसार जो आज
से पूर्व बाला-बाला प्राप्त कर लिया गया है।

प्लॉट का बाजार मूल्य रुपये 80,32,500.00 मात्र
(दर 214.20 वर्गमीटर X 37,500 प्रतिवर्ग मीटर)

मुद्रांक शुल्क:

शासकीय मुद्रांक शुल्क	-	रु.	4,01,625.00
नगर निगम मुद्रांक शुल्क	-	रु.	80,325.00
जनपद पंचायत मुद्रांक शुल्क	-	रु.	80,325.00
उपकर मुद्रांक शुल्क	-	रु.	10,040.62
अतिरिक्त	-	रु.	04.38
कुल मुद्रांक शुल्क	-	रु.	5,72,320.00


क्रमश :.....2



14755
 2016 + 10000 + 21500
 10000 + 15000 + 20120000 + 5

572,320/-
 Jan 2011/15

अर्थ
 2/2
 मोपा



अरण्यावली वृद्ध निर्माण (सहकारी सहित मर्यादित
 द्वारा अधिकृत सेनालय भार. 1/2-आय आ. 1/1
 अति-भार-एन-2015 डि. 45 अहमदाबाद, यूपी
 अर्थी मोपा लखनऊ)

श्रीमान
 राजगोपाल सोनी S/O जागेश्वर प्रसाद सोनी
 डि. जी-242, जी-सेक्टर अहमदाबाद 380015
 मोपा लखनऊ

राजगोपाल सोनी S/O जागेश्वर प्रसाद सोनी

जिला मोपा के उप पंजीयक जवाहर चौक
 कार्यालय में तारीख 22 JAN 2015
 को मू. / म.प. 3230 बजे
 परस्तुत किया गया।

उप पंजीयक
 घोषाल

आक शुल्क 401625L
 नगर निगम शुल्क 80325L
 पंचायत शुल्क 80325L
 उप कर 10.040.62
 प्रतिरिक्त शुल्क 2
 अधिक शुल्क 4.38
572320L



Handwritten signature.

22 JAN 2015

2999

रसीद दस्तावेज वगैरह

39

9967/मुकाम

भारतीय

दफ्तर

बीस रुपये

रु.20

क्र.सं.	विवरण	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत		
2	215 जगपाल सोनी उठ रफ 803250	64280	

तारीख

122 JAN 2015

उप-पंजीयक

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH :: 2 ::

22AA 935202


नाम विक्रेता: अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी. 280, दिनांक 03.03.1982 द्वारा अधिकृत संचालक श्री आर.के. यादव आत्मज श्री आर.एन. यादव, वयस्क, निवासी 45, आमपाली, चूना भट्टी, भोपाल, मध्यप्रदेश राष्ट्रीयता भारतीय। जिन्हे आगे सुविधा की दृष्टि से विक्रेता, सोसायटी या समिति कहा जायेगा। (संस्था के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 13.03.2014 के विषय क्रमांक 7.3 में संचालक श्री आर.के. यादव आत्मज श्री आर.एन. यादव को संस्था की ओर से रजिस्ट्रीयों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया है।)

नाम क्रेता: श्री रामगोपाल सोनी आत्मज श्री जागेश्वर प्रसाद सोनी, उम्र-61 वर्ष, निवासी डी-242, डी-सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल। (P.A.N. ANOPS 4615 A), जिन्हें आगे सुविधा की दृष्टि से क्रेता या आवंटी सदस्य कहा जायेगा, पस्सिर में लॉटरी के समय वरिष्ठता क्रमांक 122, दिनांक 29.08.2014 की स्थिति में संस्था में सदस्यता क्रमांक 152/186 पर दर्ज है।

सम्पत्ति का विवरण

एक किता व्यवसायिक प्लॉट क्रमांक 15 जो कि खसरा नंबर 350 रकबा 1.00 एकड़, खसरा 351 रकबा 0.64 एकड़, खसरा नंबर 354/5 रकबा 1.00 एकड़ एवं खसरा नं. 347/1/1/2 रकबा 2.00 एकड़, कुल रकबा 4.64 एकड़ का भाग है, तथा जो ग्राम बावड़िया

क्रमश :.....3



14756 + 14755

2011/15

200


अर्चना भारद्वाज

स्टाम्प विक्रेता

ई-2/281, अरेरां कालोनी

भोपाल 568890

अरुणवावली ग्रं० नि० सह० समिति द्वारा
अधिकृत लेचालक श्री आर.के. चाडव
S10 श्री. आर. एन. चाडव नि० यूना भट्टी
भोपाल



जाकार करता है कि तथा कोष
वि० प० बिलेख का निष्पादन
किया गया था। तथा प्रतिकल के
पुरे। आंकिक रु 7,70,367/-

प्राप्त हो गये हैं, तथा रु 2

उन्हें मंजूर उपस्थित में पूजाये गये थे।
और प्रतिकल की अवस्था रवेम यथा रु
2 बत गई है जो पंजीशन के
बात प्राप्ता होगी।

- (1) मेहेन्द्र शय S10 श्री. के. सी. शय नि० भोपाल
- (II) हर्ष तिवारी S10 एव. पी. एल तिवारी नि० भोपाल

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादक
की शिक्षा के विषय में की गई
है। दिनांक 22 JAN 2015

एव पंजीयक
भोपाल

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH :: 3 ::

22AA 935203

कलौ, प.ह.न. 42, नगर निगम वार्ड क्रमांक 52, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में मुख्य मार्ग से अंदर स्थित है तथा जिसका कुल क्षेत्रफल 2304.79 वर्गफिट अर्थात् 214.20 वर्गमीटर है तथा जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्नानुसार है:-

विक्रय भूखण्ड की चौहद्दी


दिशा पूरब में	-	प्लॉट नंबर 16
दिशा पश्चिम में	-	प्लॉट नंबर 14
दिशा उत्तर में	-	प्लॉट नंबर 20/21
दिशा दक्षिण में	-	12 मीटर चौड़ा रोड

उपरोक्त विक्रित प्लॉट को इस विलेख के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से पूर्ण विवरण के साथ दर्शाया गया है, संलग्न नक्शा इस विलेख का एक अंग होगा। भूखण्ड क्रमांक-15 का नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत संस्था के अनुमोदित अभिन्यास में 11.90 X 18.00 मीटर क्षेत्रफल दर्शित है। विकास कार्य पूर्ण होने पर भूखण्ड के वास्तविक मापन के आधार पर जारी किये गये डिमार्केशन प्रमाण-पत्र अनुसार क्षेत्रफल 214.20 वर्गमीटर है। जिसके अनुसार पंजीयन किया जा रहा है।

अन्य विवरण

यह कि समिति एक पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समिति है, जिसने अपने पंजीबद्ध सदस्यों को आवास हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने बावत् श्री लक्ष्मी नारायण आत्मज श्री

क्रमश :.....4



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL


मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

:: 4 ::

22AA 935204

राधेकिशन, निवासी ग्राम बावड़िया कलॉ, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल द्वारा मुख्तारआम श्री राकेश शर्मा आत्मज श्री के.के. शर्मा, निवासी ई-1/153, अरेरा कॉलोनी, भोपाल से उनकी भूमि खसरा नंबर 347/1/1/2, कुल रकबा 2.00 एकड़ भूमि जो कि ग्राम बावड़िया कलॉ, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है, को चार विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा क्रय किया है, जिनका रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस, भोपाल में क्रमशः पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 8056 के 7 पृष्ठ 96 से 102 पर दस्तावेज क्रमांक 3861(ख) देकर दिनांक 30.03.1992, पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 8059 के 6 पृष्ठ 95 से 100 पर दस्तावेज क्रमांक 3902(ख) देकर दिनांक 31.03.1992, पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 8069 के 6 पृष्ठ 29 से 34 पर दस्तावेज क्रमांक 1(ख) देकर दिनांक 01.04.1992 एवं पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 8074 के 6 पृष्ठ 03 से 08 पर दस्तावेज क्रमांक 29(ख) देकर दिनांक 02.04.1992 को किया गया है। इसी प्रकार संस्था द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण आत्मज श्री राधेकिशन, निवासी ग्राम बावड़िया कलॉ, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल द्वारा मुख्तारआम श्री राकेश शर्मा आत्मज श्री के.के. शर्मा, निवासी ई-1/153, अरेरा कॉलोनी, भोपाल से उनकी भूमि खसरा नंबर 350, कुल रकबा 1.84 एकड़ में से 1.00 एकड़ भूमि जो कि ग्राम बावड़िया कलॉ, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है, को दो विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा क्रय किया है, जिनका रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस, भोपाल में क्रमशः पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 8074 के 6 पृष्ठ 77 से 82 पर दस्तावेज क्रमांक 40(ख) देकर दिनांक 03.04.1992 एवं पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 8075 के 6 पृष्ठ 13 से 18 पर दस्तावेज क्रमांक 47(ख) देकर दिनांक 06.04.1992 को किया गया है। इसी प्रकार संस्था द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण आत्मज श्री राधेकिशन, निवासी ग्राम बावड़िया कलॉ, तहसील-हुजूर, जिला

क्रमशः5



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES


INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

:: 5 ::

22AA 935205

भोपाल द्वारा मुख्तारआम श्री राकेश शर्मा आत्मज श्री के.के. शर्मा, निवासी ई-1/153, अरेरा कॉलोनी, भोपाल से उनकी भूमि खसरा नंबर 351, कुल रकबा 0.64 एकड़ भूमि जो कि ग्राम बावड़िया कलों, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है, को दो विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा क्रय किया है, जिनका रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस, भोपाल में क्रमशः पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 7994 के 6 पृष्ठ 51 से 56 पर दस्तावेज क्रमांक 1(ग) देकर दिनांक 06.04.1992 एवं पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 8075 के 6 पृष्ठ 78 से 83 पर दस्तावेज क्रमांक 57(ख) देकर दिनांक 07.04.1992 को किया गया है। इसी प्रकार संस्था द्वारा श्री हीरालाल आत्मज श्री हरलाल, श्री हरी प्रसाद आत्मज श्री हर लाल, श्री दौलत राम आत्मज श्री किशन लाल, श्री भोलेराम आत्मज श्री किशन लाल, श्री रामरतन आत्मज श्री हजारी लाल, सभी निवासी ग्राम बावड़िया कलों, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल द्वारा मुख्तारआम श्री राकेश शर्मा आत्मज श्री के. के. शर्मा, निवासी ई-1/153, अरेरा कॉलोनी, भोपाल से उनकी भूमि खसरा नंबर 354, कुल रकबा 2.62 एकड़ में से 1.00 एकड़ भूमि जो कि ग्राम बावड़िया कलों, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है, को दो विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा क्रय किया है, जिनका रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस, भोपाल में क्रमशः पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 7994 के 5 पृष्ठ 92 से 96 पर दस्तावेज क्रमांक 7(ग) देकर दिनांक 08.04.1992 एवं पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ 8080 के 5 पृष्ठ 4 से 8 पर दस्तावेज क्रमांक 62(ख) देकर दिनांक 08.04.1992 को किया गया है। इस प्रकार समिति द्वारा कुल भूमि 4.64 एकड़ क्रय की गई तथा जिसका विधिवत नामांतरण राजस्व रिकार्ड में किया गया तथा उक्त भूमि का खसरा नंबर 350 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 351 रकबा 0.64 एकड़, खसरा नंबर 354/5 रकबा 1.00 एकड़ एवं खसरा नंबर क्रमशः6



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

22AA 935206

:: 6 ::

347/1/1/2 रकबा 2.00 एकड़, कुल रकबा 4.64 एकड़ है तथा राजस्व विभाग द्वारा जारी भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका भाग-1 एवं भाग-2 क्रमांक 348709 है।


2. यह कि समिति द्वारा उक्त भूमि को विकसित करने हेतु उक्त भूमि का विधिवत डायवर्शन म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172, 59 द्वारा न्यायालय सहायक बंदोबस्त अधिकारी, मिसरोद तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 4/अ-2/96-97, आदेश दिनांक 19.5.1999 के द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु करवाया गया है।

3. यह कि समिति द्वारा नगर पालिक निगम, भोपाल से मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत, निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तों) नियम, 1998 के अधीन लायसेंस क्रमांक 105, दिनांक 24.09.2001 को प्राप्त किया गया है।

4. यह कि समिति द्वारा उक्त भूमि के विकास की अनुमति कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल से अनुमति क्रमांक 272, भोपाल दिनांक 16.01.2004 द्वारा प्राप्त की गई है।

5. यह कि समिति की भूमि का ले-आऊट कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, म.प्र. से क्र. 3152/एल.पी.113/29/जिला/नगर नि./2003 भोपाल, दिनांक 15.09.2003 को अनुमोदित कराया गया है तथा उक्त भूमि के अनुमोदित

क्रमश :.....7



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

22AA 935207

:: 7 ::

अभिन्यास का स्थल पर चिन्हांकन संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश जिला कार्यालय, भोपाल म.प्र. से क्रमांक 467/नग्रा/2006 भोपाल, दिनांक 16.02.2005 को कराया गया है। इस प्रकार समिति द्वारा इस भूखण्ड के आवंटन एवं विक्रय से पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई है। उक्त सारी अनुमतियाँ प्राप्त करने के बाद समिति को उक्त क्रेता सदस्य के पक्ष में उक्त वर्णित भूखण्ड आवंटन/विक्रय करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।

6. यह कि उक्त भूमि पर अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी समिति का पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य है जो कि सभी प्रकार के शासकीय/अर्धशासकीय करों से शुद्ध एवं पवित्र है। उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार को कोई विवाद न्यायालय या कार्यालय में नहीं चल रहा है।

7. उपरोक्त प्लॉट को विक्रय या हस्तांतरण आदि करने के सभी अधिकार स्वतंत्र व वैधानिक रूप से विक्रेता संस्था को ही प्राप्त हैं, जिसके तहत ही उक्त वर्णित प्लॉट (संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाये अनुसार) को विक्रेता संस्था ने उपरोक्त वर्णित मूल्य के बदले उपरोक्त आवंटी (क्रेता सदस्य) के पक्ष में सदैव के लिए विक्रय कर दिया है व प्लॉट पर मौके पर क्रेता सदस्य को आधिपत्य भी विक्रेता संस्था द्वारा दे दिया गया है।

डी.आर.बी. 8
280/1982

यह कि समिति द्वारा उक्त क्रेता सदस्य के पक्ष में उक्त वर्णित भूखण्ड हमेशा-हमेशा के लिए भवन निर्माण हेतु विक्रय कर हस्तांतरित कर दिया गया है।

क्रमशः :.....8

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH


:: 8 ::

22AA 935208

9. यह कि आवंटी (क्रेता) सदस्य उपरोक्त वर्णित चतु-सीमा वाले भूखण्ड जो कि उसके मूल्य में विक्रय किया गया है, पर नगर निगम भोपाल से भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही भवन निर्माण करेगा।
10. यह कि आवंटी सदस्य को भूखण्ड अंतरित हो जाने एवं आधिपत्य प्राप्त करने के 8 वर्ष के अंदर भवन निर्माण करना अनिवार्य होगा। यदि सदस्य द्वारा 8 वर्ष के अंदर भवन निर्माण नहीं किया जाता है, तो उसके पश्चात् प्रत्येक 5 वर्ष के लिये भूखण्ड के तत्समय कलेक्टर गाईड लाईन मूल्य के अनुसार निर्धारित दर के 1 प्रतिशत के बराबर राशि संस्था में कॉलोनी रख-रखाव निधि में जमा करने के पश्चात् भवन निर्माण की अनुमति संस्था द्वारा दी जा सकेगी।
11. यह कि आवंटी सदस्य नियमानुसार 3 वर्ष तक भूखण्ड या उसके ऊपर निर्मित भवन को विक्रय नहीं कर सकेगा। यदि कोई सदस्य 3 वर्ष बाद अंतरण करना चाहे तो उसे संस्था को पंजीयन विलेख में उल्लेखित मूल्य, जो कि अंतरण वर्ष की कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार निर्धारित दर से कम न होगा, के 2 प्रतिशत के बराबर अंतरण शुल्क का भुगतान संस्था की रख-रखाव निधि में करना होगा, किन्तु किसी वित्तदायी संस्था से ऋण प्राप्त करने हेतु भूखण्ड/भवन को बंधक रखना एवं वसीयत/उत्तराधिकार से प्राप्त अंतरण शामिल नहीं होगा।

यह कि उक्त अवधि के पूर्व आवंटी सदस्य को प्लॉट या भवन विक्रय के पूर्व समिति से लिखित में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क समिति को भुगतान करना होगा।

क्रमश :.....9



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

22AA 935209

:: 9 ::

13. यह कि आज दिनांक के बाद उपरोक्त वर्णित प्लॉट के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय करों का भुगतान आवंटी सदस्य को ही करना होगा जैसे व्यपवर्तन रेंट एवं अन्य संबंधित कोई भी कर यदि शासन द्वारा अधिरोपित किया जाता है तो उसका भुगतान करना भी आवंटी सदस्य के लिए अनिवार्य है।


14. यह कि समिति द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों का पालन भी आवंटी सदस्य को करना अनिवार्य है, मेंटीनेंस या अन्य व्ययों के लिए संस्था द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो वह प्रत्येक संस्था सदस्य के लिए बंधनकारी होगा।

15. यह कि आवंटी सदस्य भवन निर्माण हेतु अपने विभाग से या किसी भी राष्ट्रीयकृत व सरकारी अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था, बैंक आदि से ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए उक्त वर्णित प्लॉट को संबंधित ऋण देने वाली एजेन्सी के पास बंधक रख सकेगा।

16. यह कि आवंटी सदस्य द्वारा आज दिनांक तक के समस्त करों का भुगतान कर दिया गया है।

17. यह कि क्रेता विक्रय पत्र के आधार पर उक्त संपत्ति को संबंधित शासकीय व अशासकीय अभिलेखों आदि के रिकार्ड में अपना नाम नामांतरित करवा ले, इसमें विक्रेता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

क्रमश :.....10



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL


मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

22AA 935210

:: 10 ::

18. यह कि विक्रेता एवं क्रेता मध्यप्रदेश पंजीयन नियम 1939 से अवगत है तथा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 के अनुसार उक्त क्रेता द्वारा विक्रित सम्पत्ति के स्वत्व की जांच कर ली है।
19. यह कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 22 (क) के अधीन विक्रेता संस्था ऊपरवर्णित विक्रित सम्पत्ति की एक मात्र स्वामी व आधिपत्यधारी है तथा संस्था द्वारा एवं संस्था के किसी प्रतिनिधि या समुन्देशिती या अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा प्रस्तुत विक्रय-पत्र के अधीन सम्पत्ति को आज दिनांक से पूर्व किसी अन्य को विक्रय, अनुबंध एवं मुख्तारनामा या अन्य किसी रीति से अंतरण नहीं किया गया है।
20. यह कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 22 (क) के अधीन क्रेता द्वारा भी अपने व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह सुनिश्चित कर लिया है कि, विक्रेता संस्था एवं उनके किसी प्रतिनिधि या समुन्देशिती या अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा इस विक्रय-पत्र के अधीन सम्पत्ति का विक्रय पूर्व में किसी अन्य को नहीं किया गया है न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अनुबंध किया गया है तथा विक्रेता संस्था प्रश्नाधीन सम्पत्ति की विधि अनुसार एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। इस संबंध में मुझ क्रेता द्वारा पूर्ण संतुष्टि कर ली गई है तथा पंजीकृत दस्तावेजों एवं राजस्व अभिलेखों से भी मैंने यह पुष्टि कर ली है कि, उक्त सम्पत्ति का इसी विक्रेता संस्था द्वारा पूर्व में अन्य कोई अन्तरण नहीं किया गया है।

क्रमश :.....11



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH


:: 11 ::

22AA 935211

अतः यह दस्तावेज विक्रय-पत्र विक्रेता ने राजी-खुशी, पढ़-लिखकर, सुन-समझकर, मस्तिष्क की स्वस्थ दशा में दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद रहे व आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

भोपाल, दिनांक: 22.01.2015

गवाह:



महेन्द्र राज आत्मज श्री के.सी. राय,
निवासी एच-104, कोटरा
सुल्तानाबाद, भोपाल।

उपरोक्त गवाह



उमेश तिवारी आत्मज स्व. श्री पी.एल. तिवारी
निवासी 968, पुरानी विधान सभा, भोपाल।

उपरोक्त गवाह

हस्ताक्षर


विक्रेता/हस्तांतरण कर्ता संस्था अरण्यावली गृह

निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल द्वारा

संचालक

(आर.के. यादव)


वास्ते



(हस्ताक्षर क्रेता)

(यह दस्तावेज मेरे द्वारा उभय पक्षों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिखवाया गया है)

अधिवक्ता



डी.आर.बी.

नोट: इस दस्तावेज में कोई कांट-छाट नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये
रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES


INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

22AA 935212

यह स्टाम्प पेपर पंजीयन दस्तावेज
के साथ संलग्न किये गए

Dyadar



यह स्टाम्प पेपर पंजीयन दस्तावेज
के साथ संलग्न किये गए है।

201115

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 20000

बीस हजार रुपये



TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA


मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 099813


A 099813

यह स्टाम्प पेपर संश्लेषित दस्तावेज के साथ संलग्न किये गए है।

Shyama



यह स्टाम्प पेपर संश्लेषित दस्तावेज के साथ संलग्न किये गए है।




शपथ-पत्र

मैं, आर.के. यादव आत्मज श्री आर.एन. यादव, वयस्क, निवासी 45, आम्रपाली, चूना भट्टी, भोपाल सचिव अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी. 280, दिनांक 03.03.1982 शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1. यह कि इस दस्तावेज में मेरे द्वारा संपत्ति का जो विवरण अभिलिखित किया गया है, वह दिनांक 22.01.2015 की स्थिति में पूर्णतः सत्य व सही है।
2. यह कि दस्तावेज के साथ इस संपत्ति के जो फोटोग्राफ संलग्न कर उप-पंजीयक कार्यालय, भोपाल में प्रस्तुत किये गये हैं, वह संपत्ति की पूर्णतः सत्य एवं सही स्थिति दर्शाते हैं तथा उक्त फोटोग्राफ पर मेरे हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप हैं।
3. यह कि संपत्ति के दस्तावेज में उल्लेखित विवरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा।

4. यह कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 22 (क) का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है।





सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र के चरण क्र. 1 से 4 तक में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है।

सत्यापन आज दिनांक 22.01.2015 को भोपाल शहर में किया गया।

TRUE COPY ATTESTED

22/01/15
N.P. BALBHADR
ADVOCATE & NOTARY,
SHAHJAHANABAD, BHOPAL (M.P.)



प्रमाण-पत्र

हम, विक्रेता एवं क्रेता प्रमाणित करते हैं कि निम्न फोटो एक किता व्यवसायिक प्लॉट क्रमांक 15 जो कि खसरा नंबर 350 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 351 रकबा 0.64 एकड़, खसरा नंबर 354/5 रकबा 1.00 एकड़ एवं खसरा नं. 347/1/1/2 रकबा 2.00 एकड़, कुल रकबा 4.64 एकड़ का भाग है, तथा जो ग्राम बावड़िया कलॉ, प.ह.न. 42, नगर निगम वार्ड क्रमांक 52, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में मुख्य मार्ग से अंदर स्थित है तथा जिसका कुल क्षेत्रफल 2304.79 वर्गफिट अर्थात् 214.20 वर्गमीटर है, की है:-





Hyada

अप्रभात ग्रह निर्माण संस्कारा
डी.आर.वी.
280/1982
मण्डल

[Handwritten signature]



भारत सरकार
Government of India



Ramgopal Soni
DOB : 01/07/1954
Male



6823 6064 2143

आधार - आम आदमी का अधिकार



आधार
Unique Identification Authority of India

Address: S/O: Jageshwar Prasad Soni,
D-242, D-SECTOR, AYODHYA
NAGAR, Huzur, Ayodhya Nagar,
Bhopal, Madhya Pradesh, 462041

6823 6064 2143



1947
1800 300 1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

PAN - NO - ANOPS4615A

MR. R. G. SONI (IFS)

INDIAN UNION DRIVING LICENCE

MADHYA PRADESH STATE Form 7

Number: MP04N-2007-0451291

Name: RAHENDRA RAI

SON of: KESHARCHAND RAI

Address: 4704 GOVT CITRUS MOTRA
SULATANABAD
BHOPAL, MP

Issued on: 20-10-2007

DOB: 04-01-1967 BG

is Licence to drive

Holder: *[Signature]*

Vehicle Class	MCWG	LMV-NT
Date of Issue	25-10-2007	25-10-2007

Valid till (Transport) _____

Valid till (Non-Transport) 30-01-2017


[Handwritten Signature]




[Handwritten Signature]
 ATO Signature / Court Endorsement



MP 401
 01/10/2007



Shivam



ARANYAWALI HOUSING CO-OPERATIVE SOCIETY

BAWADIYA KALAN BHOPAL-462026

DRB/280/1982

Certificate of Demarcation

This is to certify that Plot No. 15 (Commercial) allotted to

Ms/Shri/Smt. RAMGOPALSONI D/o, S/o, W/o JAGESHWARPRASAD ^{SONI} at



Aranya Valley Campus of the Society located at Hoshangabad Road, Bhopal has the following dimensions and area and it has been demarcated, this Date 18/03/2014 at the site, as per the site plan.

- 1) Dimension of the Plot 11.90 X 18.00 M
- 2) Net area of the plot in sq.m. 214.20 SQ.MTR.
- 3) Built up area permissible/MOS/FAR _____ as per rule.
- 4) Location of Plot :
 - a) North PLOT NO. 20/21
 - b) South 12 M WIDE ROAD
 - c) East PLOT NO. 16
 - d) West PLOT NO. 14
- 5) Other details if any Location of the plot in the society (attached).

President/ Secretary


Aranyawali Housing Co-operative Society Bhopal.


Certified by me the area and measurements of the plot;
and found to be correct.



Rakesh Kumar Gupta
Architect/Engineer
Rakesh Kumar Gupta
BMC License No. 15 (200)
MCB Lic. No. 15-80
Goyal *Rakesh Kumar Gupta*

294, Rachna Nagar, BPL.





22 JAN 2015

आफ दिनेक,
को पुस्तक क्रमांक
शे. 13 पर 98-11 पर क्रमांक 296719
देखर नजीयरत किया गया

उप पंजीयक
सोपल

प्रमाणित किया जाता है कि इस
विलेख के एन्ट क्रमांक कि इस
पंक्ति क्रमांक काट खाट है। काट खाट नहीं है।
मं

उप पंजीयक
सोपल

मुद्राक शुल्क 572390L
पंजीयन शुल्क
पुस्तकाने शुल्क 64280
नुसनाकरण शुल्क
शिलान शुल्क
अन्य
64260

उप पंजीयक
सोपल